Shri Y. B. Chavan: So far as our examination goes, there is no proof to show that the ammunition or weapons used are American.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : पाकिस्तान के अंदर दो तरह से तैयारियां हो रही हैं? एक, तो पाकिस्तान के लाखों नागरिक रज़ाकार के नाम से अंदर घुसना चाहते हैं और दूसरे पाकिस्तान की मिलेटरी इक्के दुक्के हमले करना चाहती है तो इन दोनों के ऊपर क्या सरकार ने अलग-अलग गौर किया है?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : गवर्नमेंट ने गौर किया है।

श्री यशपाल सिंह : इस को दूर करने का क्या कोई उपाय किया है?

Dr. L. M. Singhvi: The hon. Minister said that specific steps are being taken to prevent the recurrence of such incidents. We would like to know what these specific steps are and whether among those specific steps are also included some steps to see that the liability of crossing is on the offending party and that the offending party is made to pay for every violation.

Shri Y. B. Chavan: Liability of the offending party and action to be taken against it is not certainly the part that we can do; but as regards the specific steps I did make a mention. One was suggested by the CMO, major proposal to prohibit the entry of armed civilians within 500 yards. That was a very good suggestion. We accepted it. We want the CMO and other authorities to persuade the Pakistan Government to accept that.

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): What is the answer to my specific question in respect of making the offending pay for these violations?

Mr. Speaker: That cannot be done.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ALLEGED TAPPING OF TELEPHONE OF CHIEF MINISTER OF PUNJAB

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर संचार तथा संसद् कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "पंजाब के मुख्य मंत्री के टेलीफोन का चंडीगढ़ टेलीफोन एक्सचेंज में कुछ कर्मचारियों द्वारा कथित सुना जाना।"

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : हम लोगों का हमेशा सुना जाता है।

Shri Ranga (Chittoor): Mine too, Sir.

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : इस महीने के दूसरे सप्ताह में कुछ ऐसी शिकायतें मिली थीं कि चंडीगढ़ की टेलीफोन शाखा के कुछ कर्मचारी पंजाब के मुख्य मंत्री की टेलीफोन पर होने वाली बातचीत को बीच से ही काट कर दूसरे व्यक्तियों को सूचना दे रहे थे। पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री भी संचार मंत्री से मिले थे और उन्होंने इस प्रकार के अफवाहों की चर्चा की थी। इस मामले की जांच की गई है और डाक-तार कर्मचारियों द्वारा अर्थात् टेलीफोन आपरेटरों या डाक-तार विभाग के अन्य कर्मचारियों द्वारा टेलीफोन कालों को बीच से ही काटने या बीच से ही सुन लेने के सम्बन्ध में कोई भी प्रमाण नहीं मिला है।

इस विषय पर 23 सितम्बर को पंजाब के डाक-तार महाध्यक्ष ने पंजाब के मुख्य मंत्री तथा गृह मंत्री से बातचीत की थी। डाक-तार महाध्यक्ष ने मुख्य मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से यह बता दिया था कि जहां तक

अभी तक की गई जांच-पड़ताल द्वारा पता लगाया जा सका है, मुख्य मंत्री के टेलीफोन कालों को बीच से ही काट लेने के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं ।

इस प्रकार बीच से ही टेलीफोन काट कर सुन लेने की संभावनाओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से सतर्कता बरती जा रही है ।

Shri Ranga: That is all over telephones for years and years. This Government is no better than the British Government. (*Interruptions*)

Shrimati Renu Chakravartty: It is done by the C.I.D.

Shri S. M. Banerjee: This should have been replied by the Home Minister. He is not interested in tapping.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या पंजाब के भूतपूर्व मंत्री के द्वारा अपने जासूस उस क्षेत्र में छोड़ गये हैं, जिनके द्वारा यह काम कराया जाता है और इसके अलावा यह बात कहां तक सही है कि विरोधी लोगों के टेलीफोन भी सुने जाते हैं ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं समझ नहीं पाया कि माननीय सदस्य ने क्या पूछा है । (*Interruptions.*)

श्री नाथपाई (राजापुर) : क्या भोजपुरी में प्रश्न पूछना आवश्यक है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह पूछते हैं कि क्या आपको यह मालूम हो गया है कि जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे, उन्होंने एजेन्ट छोड़े हुए हैं और उनकी मार्फत यह काम कराया जा रहा है, यानी टेलीफोन टैप कराया जा रहा है । उनके सवाल का दूसरा हिस्सा यह है—जिसका इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है—कि क्या अपोजीशन मेम्बर्ज के टेलीफोन भी टैप हो रहे हैं ।

श्री सत्य नारायण सिंह : यह जरूर है कि चार्ज या सन्देह यही है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने ही कुछ किया होगा । इस सम्बन्ध में पी० एम० जी० गृह मंत्री से मिले थे । खुद वहां के मुख्य मंत्री से टेलीफ़ोन पर बात हुई थी । उन्होंने कहा कि उनका सन्देह था और उस सन्देह पर उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया । लेकिन अभी इस डिपार्टमेंट ने जो कुछ कार्यवाही इस सम्बन्ध में की है, उस से वह सन्तुष्ट हैं ।

जहां तक अपोजीशन वालों के टेलीफ़ोन को टैप करने की बात है, उसका इस सवाल से कोई सरोकार नहीं है । जब कोई माननीय सदस्य उसके बारे में दूसरा सवाल पूछेंगे, तो मैं जवाब दे दूंगा कि क्या होता है और क्यों होता है ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या सरकार के पास इस तरह की कोई स्कीम नहीं है कि बीच में जासूस कोशिश करने पर भी हमारे टेलीफ़ोनों को टैप न कर सकें ?

श्री सत्य नारायण सिंह : है और वह कुछ काम में लाई जा रही है । इस सम्बन्ध में एक बात तो यह है कि अगर सचमुच कोई टेलीफ़ोन टैप करने की कोशिश भी करता, तो वह सम्भव नहीं था, जब तक कि उसके गिरोह में बहुत से लोग शामिल न हों, जो कि सम्भव नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति इस तरह की चोरी की बात करता है, तो उसको यह डर रहता है कि अगर इसमें बहुत से लोग शामिल होंगे, तो उसका पता चल जायेगा और उसकी नौकरी चली जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उसके पास बहुत से आदमी हैं । उसके दो लड़के हैं ।

Shri P. Venkatasubbaiah (Adoni): The Chief Minister of Punjab has made a statement on the floor of the Assembly that his telephones are being tapped and now the hon. Minister says that he is convinced that there is no such tapping. May I know on what grounds the Chief Minister could make such a responsible statement on the floor of the Assembly without ascertaining the facts?

Shri Satya Narayan Sinha: It is not for me to say why he made that statement. But it is a statement of fact that he said that he made that statement on suspicion. When he was asked to give some clue, he could not give it. He said that it was absolutely on suspicion that he made that statement. And the Home Minister of that State came . . .

श्री हुकम चन्द कछवाय : मुख्य मंत्री का कोई दूसरा वक्तव्य नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें और सुनें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, जब उत्तर ठीक तरह से नहीं दिया जाता है, तो संतोष कैसे होगा ?

Shri Satya Narayan Sinha: Some of my hon. friends are more royal than the king. What can I do? Those people in Punjab are satisfied with what happened. If my hon. friends opposite are not satisfied, what can I do?

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER COMMISSIONS OF INQUIRY ACT

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. GSR. 1228 dated the 28th August, 1964, regarding conferment of powers on the Monopolies Inquiry Commission under section 50 of the Commissions of Inquiry Act, 1952. [*Placed in Library. See* No. LT-3251/64].

Shri Hari Vishnu Kamath: (Hoshangabad): On a point of clarification. Has any date or deadline been set for the submission of the report of the Monopolies Inquiry Commission?

Shri T. T. Krishnamachari: The notification does not refer to it.

Shri Hari Vishnu Kamath: Apart from the notification, has any date been set for it?

Mr. Speaker: The notification does not refer to it.

REPORT ON ESCAPE OF WALCOTT AND GOVERNMENT'S DECISION THEREON

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): On behalf of Shri Kanungo, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(i) Report of Shri L. C. Jain, Secretary, Department of Communications, in respect of the escape of Mr. Daniel H. Walcott in a Piper Apache aircraft on the 26th September, 1963, from Safdarjang Airport.

(ii) Memorandum giving Government's decision on the above Report. [*Placed in Library. See* No. LT-3252/64].

APPRENTICESHIP (THIRD AMENDMENT) RULES

Main conclusions of 22nd Indian Labour Conference

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malviya): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(i) The Apprenticeship (Third Amendment) Rules, 1964, published in Notification No. GSR. 1181, dated the 27th August, 1964, under sub-section (3) of section 37 of the Apprentices Act, 1961. [*Placed in Library. See* No. LT-3253/64].